भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1846

31 जुलाई, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

नई पीएम स्वनिधि योजना

†1846. डॉ. सी. एम. रमेशः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नई पीएम स्वनिधि योजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो यह मौजूदा योजना से किस प्रकार भिन्न है;

(ग) क्या सरकार की पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ग्रामीण पथविक्रेताओं को पीएम स्वनिधि ऋण प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना के लागू होने से लेकर अब तक इससे लाभान्वित हुए पथविक्रेताओं की राज्य-वार/जिला-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्संरचना को अभी तक अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है।

(घ): प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शहरी क्षेत्रों में क्रियान्वित की गई है। हालाँकि, शहरी स्थानीय निकायों की भौगोलिक सीमाओं के भीतर आसपास के विकसित/अर्ध शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के पथ विक्रताओं को भी ऋण प्रदान किया जाता है।

(ड़) 22 जुलाई 2025 तक, पीएम स्वनिधि योजना के तहत इसकी शुरुआत से अब तक 68.11 लाख से अधिक पथ विक्रेता लाभान्वित हो चुके हैं।

स्वनिधि योजना के तहत पथ विक्रेता लाभार्थियों का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक-। में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक - I: 31.07.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1846 के उत्तर में संदर्भित

पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पथ विक्रेता लाभार्थियों का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण

(22-07-2025 तक)

क्र.सं.	राज्य	लाभार्थियों की संख्या						
		वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26 (22 जुलाई 2025 तक)	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	387	90	9	57	6	-	549
2	आंध्र प्रदेश	1,12,769	70,964	12,597	1,38,943	13,588	2	3,48,863
3	अरुणाचल प्रदेश	1,588	898	823	1,278	136	-	4,723
4	असम	14,157	40,651	12,005	48,317	6,136	-	1,21,266
5	बिहार	28,859	18,702	3,542	66,733	11,030	6	1,28,872
6	चंडीगढ़	2,051	1,408	524	991	48	-	5,022
7	छत्तीसगढ	40,305	6,393	3,843	29,438	10,139	2	90,120
8	दिल्ली	31,148	10,526	17,708	1,19,786	13,247	4	1,92,419
9	गोवा	1,018	220	64	231	38	1	1,572
10	गुजरात	1,02,307	94,870	45,819	2,08,688	27,514	1	4,79,199
11	हरियाणा	16,947	9,450	5,044	1,21,838	14,706	433	1,68,418
12	हिमाचल प्रदेश	2,767	593	496	1,486	116	-	5,458
13	जम्मू और कश्मीर	11,520	2,755	918	1,553	494	-	17,240
14	झारखण्ड	22,025	6,811	2,642	49,645	4,448	-	85,571
15	कर्नाटक	1,08,004	33,803	27,166	1,99,299	27,483	69	3,95,824
16	केरल	8,051	1,374	1,793	98,665	9,413	2	1,19,298
17	लद्दाख	247	14	61	127	13	-	462
18	मध्य प्रदेश	3,13,786	1,56,791	62,369	2,98,485	57,469	302	8,89,202
19	महाराष्ट्र	1,49,151	48,260	1,62,303	4,34,975	57,959	26	8,52,674
20	मणिपुर	6,094	2,393	346	930	70	-	9,833
21	मेघालय	253	355	796	1,761	746	-	3,911
22	मिजोरम	445	38	46	1,685	372	-	2,586
23	नागालैंड	1,203	299	206	1,240	627	-	3,575
24	ओडिशा	27,497	7,379	2,150	23,824	3,315	8	64,173
25	पुदुचेरी	1,130	116	89	2,124	77	-	3,536
26	पंजाब	26,675	12,685	3,629	1,13,643	10,888	22	1,67,542
27	राजस्थान	50,343	16,788	2,185	88,589	31,683	6	1,89,594

28	सिक्किम	1	1	-	1,115	114	-	1,231
29	तमिलनाडु	87,735	75,070	19,139	2,02,128	15,878	1	3,99,951
30	तेलंगाना	3,10,512	34,275	8,532	65,260	7,647	1	4,26,227
31	दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव	1,032	213	79	827	63	-	2,214
32	त्रिपुरा	2,611	602	331	1,769	320	-	5,633
33	उत्तर प्रदेश	5,63,816	2,22,008	1,48,172	3,93,892	63,769	9	13,91,666
34	उत्तराखंड	9,111	1,392	2,756	12,155	2,980	-	28,394
35	पश्चिम बंगाल	2,377	11,212	1,550	1,76,232	13,579	4	2,04,954
कुल		**20,57,922**	**8,89,399**	**5,49,732**	**29,07,709**	**4,06,111**	**899**	**68,11,772**

नोट: योजना की ऋण अवधि 31.12.2024 को समाप्त हो चुकी है।